

प्रारूप-3

(नियम 8 देखें)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र
एआरटी क्लिनिक (स्तर 1/स्तर 2) /एआरटी बैंक
(दो प्रतियों में जारी किया जाए)

प्रमाण पत्र संख्या:- MP/DHAR/ ART Level-2 Clinic/No. 01

1. सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 16 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित प्राधिकारी कलेक्टर एवं जिला सक्षम एस्सिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेसी प्राधिकारी जिला-धार, मध्य प्रदेश उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित एआरटी क्लिनिक को दिनांक 17/04/2028 को समाप्त होने वाली05 वर्ष..... की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हैं।

(a) एआरटी क्लिनिक का नाम और पता :- मुस्कान फर्टिलिटी सेन्टर, तिलक मार्ग, नर्सिंग चोपाटी धार (म.प्र.)

(b) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी) :- निजी

(c) सुविधा का प्रकार : स्तर 1/स्तर 2 :- स्तर 2

या

निम्नलिखित एआरटी बैंकनिरंक..... को समाप्त होने वालीनिरंक..... अवधि के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार गतिविधियों और प्रक्रियाओं को करने के प्रयोजन हेतु

(a) एआरटी बैंक का नाम और पता:- निरंक

(b) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी):- निरंक

2. यह रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम और उसके अधीन नियमों के अधीन प्रदान किया जाता है और इनके किसी भी उल्लंघन का परिणाम, पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का निलम्बन या निरस्तीकरण होगा।
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या आवंटित की गई।
4. केवल रजिस्ट्रीकरण के नवीकृत प्रमाण प्रारूप के लिए:
5. रजिस्ट्रीकरण के पहले प्रमाण प्रारूप की वैधता की अवधि 17/04/2023 से 17/04/2028 तक

तारीख : 26/4/2023

स्थान: धार

(प्रियंक मिश्रा)

कलेक्टर एवं

जिला सक्षम एस्सिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं
सरोगेसी प्राधिकारी जिला-धार, मध्य प्रदेश

इस प्रमाण पत्र की एक प्रति व्यवसाय के स्थान पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें।

- जो लागू या आवश्यक न हो उसे काट दें।